छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 175/2008

श्री सी. आर. साहू,
मकान नं. 42, जवाहर नगर, दुर्ग,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी,
तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी गृह
निर्माण सहकारी समिति मर्यादित,
जवाहर नगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::
(दिनांक 23 जून 2008)

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सी0 आर0 साहू ने दिनांक 13–07–2007 के आवेदन से जन सूचना अधिकारी, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, जवाहर नगर, दुर्ग से जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था, जिनके द्वारा आवेदन प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–2 की ओर हस्तांतरित कर दिया गया। समयावधि में जानकारी न मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित किया, जिसका पालन संस्था के अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया, उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

2/ उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया और प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क में शासन से कोई अनुदान नहीं मिलने के कारण अधिनियम उन पर लागू नहीं होना बताया है। उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06–06–2008 को इस संबंधी शासन के आदेश की प्रति अपीलार्थी को भिजवा दी है। अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह बताया कि समिति जो कि पंजीकृत संस्था है, उसको शासन से रियायत दर पर भूमि मिली थी और सहकारिता विभाग का उन पर नियंत्रण भी है। अतः अधिनियम उन पर लागू होना मान्य किया जाना चाहिये। इसके पक्ष में उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। अतः इस आधार पर यह अधिनियम उक्त समिति पर लागू होना मान्य किया जाता है। किन्तु समिति के अध्यक्ष ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा जो जानकारी चाही गई है, वह उक्त समिति के निर्वाचन से संबंधित थी और समस्त रिकार्ड निर्वाचन अधिकारी के

पास सीलबंद रखा है और उस निर्वाचन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में निर्वाचन को चुनौती भी दी गई है, जिसके लिये कार्यवाही जारी है। ऐसी स्थिति में उक्त रिकार्ड सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिलाया जाना संभव नहीं है और जिस सक्षम न्यायालय में निर्वाचन को चुनौती दी गई है वहीं अपीलार्थी द्वारा आवेदन लगाकर रिकार्ड का अवलोकन अथवा प्रति प्राप्त की जा सकती है। अतः उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी की उक्त अपील में आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होने के कारण यह अपील विचार योग्य नहीं है।

3/ अतः अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त